संख्या-483/2021/आई /104669/41-1002(001)/50/2021-72(बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 07 अक्टूबर 2021**

विषय:-मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद अमेठी के वि0स0क्षे0-जगदीशपुर में सिद्धादास जू महाराज आश्रम धाम-हरगांव की परियोजना हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2298/मु0प0सं0यो0(13)/2021 दिनांक 26 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत **जनपद अमेठी के वि0स0क्षे0-जगदीशपुर में सिद्धादास जू महाराज आश्रम धाम-हरगांव की परियोजना हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल) द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष रू0-47.25 की प्रशासकीय एवं रू0-23.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-192/2021/626/41-2021-72(बजट)/2021 दिनांक 05 मार्च 2021 द्वारा निर्गत की गई थी। तत्क्रम में श्री सुरेश पासी मा0 राज्यमंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के पत्र दिनांक 27-7-21 में की गई संस्तुति/अनुरोध के क्रम में शासन के पत्रांक-405 वीआईपी/41-2021-72(बजट)/2021 दिनांक 04-08-21 द्वारा संदर्भगत परियोजना हेतु पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई । महानिदेशक पर्यटन द्वारा अपने पत्र दिनांक 26-8-2021 द्वारा संदर्भगत परियोजना हेतु स्वीकृत कार्यों के स्थान पर कतिपय नये कार्यों को सम्मिलित करते हुये पुनरीक्षित आगणन रू0-51.26 लाख स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया जिसका विभागीय अप्रेजल समिति से मूल्यांकन कराने के उपरान्त आंकलित लागत रू0-50.51 लाख संस्तुत की गई ,जबकि इस प्रायोजनान्तर्गत राज्य सेक्टर से वित्त पोषण की अधिकतम सीमा रू0-50.00 लाख है।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अमेठी के वि0स0क्षे0-जगदीशपुर में सिद्धादास जू महाराज आश्रम धाम-हरगांव की परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये उक्त पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष रू0-50.00 लाख (योजनान्तर्गत अधिकतम सीमा रू0-50.00 लाख) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-192/2021/626/41-2021-72(बजट)/2021 दिनांक 05 मार्च 2021 द्वारा अवमुक्त की गई **प्रथम किश्त की धनराशि रू0 23.62 लाख** का उपयोग उक्त शासनादेश में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-760/दस-2021 दिनांक 06 अक्टूबर 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, अमेठी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- श्रीमती कीर्ति क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल0), लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल0), यूनिट-11 अयोध्या ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
10- उप निदेशक, पर्यटन अयोध्या मण्डल ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।